UPSP010078912026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3391/2026

सुमित पुत्र छोटे लाल, निवासी ग्राम खानपुर, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 156/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व
धारा 318(4) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली नगर, जिला– सहारनपुर।

05–08–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित** पुत्र छोटे लाल की ओर से मु0अ0सं0– 156/2026, धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 318(4) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ राधिका नोटियाल पत्नी मनोज कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अभियुक्त का इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 29.06.2026 को वादी उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान मय हमराहीयान के थाना हाजा से बहवाले रपट न0 53 समय 20.50 बजे रवाना होकर पुलिस चौकी क्षेत्र किशनपुरा में मामूर होकर स्टैन्डर्ड रैस्टोरैन्ट के सामने भगत सिंह मार्ग पर वाहन चैकिंग कर रहे थे तभी एक व्यक्ति श्रीराम चौक की तरफ से मोटर साईकिल से आता दिखाई दिया जो अचानक सामने पुलिस चैकिंग होते देखकर सकपकाया तथा मोटर साईकिल पीछे मोड़कर प्रभात सिनेमा में घुस गया शक बदमाश होने पर पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर इस व्यक्ति को प्रभात सिनेमा पार्किंग में पीछे की तरफ मय मोटर साईकिल के पकड़ लिया। टार्चों की रोशनी डालते हुए इस पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए पीछे मुडकर भागने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति नें अपना नाम **सुमित** पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम खानपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उम्र करीब 19 वर्ष बताया ओर कहा कि साहब मेरे पास चरस है। सुमित उपरोक्त को बताया कि आपके पास मादक पदार्थ चरस है अतः आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा संकते हो इस पर सुमित उपरोक्त ने कहा कि आप ही मेरी तलाशी ले लीजिये। वादी उ0नि0 द्वारा सुमित उपरोक्त से धारा 50 (क) एनडीपीएस एक्ट के तहत सहमति लेते हुए पकडे गये इस व्यक्ति सुमित उपरोक्त की टार्चों की रोशनी में तलाशी ली गयी तो पकडे गये उपरोक्त व्यक्ति के दाहिने हाथ में पकड़ी एक एक काले रंग की पालीथीन जिसमे काले रंग का पदार्थ भरा है, मिली, जिसको खोलकर देखा सूंघा व हमराहीयान को सुंघाया गया तो काले रंग के पदार्थ से **चरस** की बू आ रही है अभियुक्त सुमित उपरोक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुचता है। अभि० सुमित की जामा तलाशी ली गई तो इसकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से **7 अदद एटीएम अलग–अलग बैंक शाखा** के 1. PNB का मेम काला नाम का ए०टी०एम० नम्बर 5085,4611,1481,9692 है 2. SBI बैंक का ए०टी०एम मधु श्रीवास्तव जिसका नम्बर 6522,9401,4999,3449 है 3. ICICI बैंक का ए०टी०एम मधु श्रीवास्तव

जिसका नम्बर 4375,5195,5188,4008 है 4. ICICI बैंक का ए०टी०एम मधु श्रीवास्तव जिसका नम्बर 4722,5407, 1102,0770 है 5. SBI बैंक का ए०टी०एम रमनप्रीत जिसका नम्बर 6522,9402,7964,9340 है 6. ICICI बैंक का ए०टी०एम संदीप कुमार श्रीवास जिसका नम्बर 4375,5195,5188,4107 है 7. HDFC बैंक का ए०टी०एम राजेश कुमार जिसका नम्बर 5260,9901,2373,0786 है, तथा एक अदद आधार कार्ड सुमित पुत्र छोटेलाल निवासी खानपुर भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड जिसका नम्वर 5440,6630,7799 है तथा एक अदद पैन कार्ड सुमित पुत्र छोटेलाल नम्बर TQSPS6919B है, बरामद हुआ तथा पैन्ट की बाई जेब से **2 अदद प्लास्टिक की सिलवर कलर की पत्तियां** बरामद हुई जिनकी लम्वाई 10, 10 अंगुल है अभि० सुमित उपरोक्त से बरामद ए०टी०एम कार्डो एवं पत्तियो के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गई तो बताया कि **साहब ए०टी०एम में सीधे–साधे लोगो को बातो में उलझाकर उनका पिनकोड देखकर धोखे से ए०टी०एम कार्ड बदल लेता हूँ तथा अन्य ए०टी०एम से उनके पैसे निकाल लेता हूँ तथा जहाँ ए०टी०एम खाली दिखाई देते है वहाँ नोट निकालने की जगह ये पत्तियां फिट कर देता हूँ जब कोई ग्राहक पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा फंस जाता है जिसके जाने के बाद मै पत्ती हटाकर पैसा निकाल लेता हूँ** साहब मैंने इसी तरह ए०टी०एम बदल कर दिनाँक 04.05.2026 को समय करीब 12:45 बजे दिन खलासी लाईन सहारनपुर के हिताची बैंक के ए०टी०एम में एक व्यक्ति का धोखे से ए०टी०एम बदल कर **55 हजार रूपये निकाले थे तथा रोशनपुरा व रूड़की से भी इसी तरह से मैने धोखाधड़ी करके ए०टी०एम० बदलकर पैसे निकाले थे** जिनकी मुझे तारीख मालूम नही है खलासी लाईन की घटना के सम्बन्ध में थाना सदर वजार जनपद सहारनपुर से मलूमात की गई तो बताया कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 244/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत है, जिन्हे आवश्यक कार्यवाही हेतु बताया गया। अभियुक्त उपरोक्त को इसके जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 318(4) बीएनएस से अवगत कराते हुए समय करीब 23:52 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया व गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया। अभियुक्त से बरामदा चरस को विवेचना किट से मध्यम भार वर्ग के इलैक्ट्रानिक काँटे को निकालकर बरामदा चरस को पन्नी से निकाल कर वजन किया गया तो कुल वजन **209.03 ग्राम** है। अभियुक्त से बरामद मोटरसाईकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त सुमित के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 318(4) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी दिनांक 29.06.2026 को सहारनपुर शहीद गंज बाजार से पहनने के कपड़े खरीदने के लिए सहारनपुर अपने गांव से आया था। प्रार्थी को जब वह चौकी सराय के आसपास समय करीब 6–7 बजे था, पुलिस वालो ने उत्तराखण्ड का नम्बर होने के कारण प्रार्थी की मोटरसाईकिल रोक ली थी, कागजात पर कहा सुनी हो गई थी। पुलिस वाले प्रार्थी को थाना हाजा पर ले गए थे और थाने पर बैठा दिया था और प्रार्थी का उपरोक्त मामले में झूठा चालान कर दिया। थाना हाजा ने एनडीपीएस एक्ट के आवश्यक प्रावधानों 41, 42, 50, 55 व 57 का पालन नहीं किया है। रिप्रजेन्टेटिव सैम्पल नहीं लिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गए ए0टी0एम0 की प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। दर्शित बरामदगी झूठी व प्लान्टिड है। जनता का कोई गवाह नहीं है। पुलिस वालो ने कोई आपसी जामातलाशी भी दर्शित नहीं की है। प्रार्थी दिनांक 30.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और न ही उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सुमित को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **209.03 ग्राम** अवैध **चरस** तथा 07 अदद ए0टी0एम0 कार्ड अलग–अलग बैंक शाखा के, 02 अदद प्लास्टिक की पत्तियों की बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि **वह ए०टी०एम में सीधे–साधे लोगो को बातो में उलझाकर उनका पिनकोड देखकर धोखे से ए०टी०एम कार्ड बदल लेता है तथा अन्य ए०टी०एम से उनके पैसे निकाल लेता है तथा जहाँ ए०टी०एम खाली दिखाई देते है वहाँ नोट निकालने की जगह ये पत्तियां फिट कर देता है, जब कोई ग्राहक पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा फंस जाता है जिसके जाने के बाद वह पत्ती हटाकर पैसा निकाल लेता है।** उसने इसी तरह ए०टी०एम बदल कर दिनाँक

04.05.2026 को समय करीब 12:45 बजे दिन खलासी लाईन सहारनपुर के हिताची बैंक के ए०टी०एम में **एक व्यक्ति का धोखे से ए०टी०एम बदल कर 55 हजार रूपये निकाले थे तथा रोशनपुरा व रूड़की से भी इसी तरह से उसने धोखाधड़ी करके ए०टी०एम० बदलकर पैसे निकाले थे।** अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में प्रार्थी/अभियुक्त सुमित को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **209.03 ग्राम** अवैध **चरस** तथा 07 अदद ए0टी0एम0 कार्ड अलग–अलग बैंक शाखा के, 02 अदद प्लास्टिक की पत्तियां बरामद होना तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा यह बताना कि **वह ए०टी०एम में सीधे–साधे लोगो को बातो में उलझाकर उनका पिनकोड देखकर धोखे से ए०टी०एम कार्ड बदल लेता है तथा अन्य ए०टी०एम से उनके पैसे निकाल लेता है तथा जहाँ ए०टी०एम खाली दिखाई देते है वहाँ नोट निकालने की जगह ये पत्तियां फिट कर देता है, जब कोई ग्राहक पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा फंस जाता है जिसके जाने के बाद वह पत्ती हटाकर पैसा निकाल लेता है।** उसने इसी तरह ए०टी०एम बदल कर दिनाँक 04.05.2026 को समय करीब 12:45 बजे दिन खलासी लाईन सहारनपुर के हिताची बैंक के ए०टी०एम में **एक व्यक्ति का धोखे से ए०टी०एम बदल कर 55 हजार रूपये निकाले थे तथा रोशनपुरा व रूड़की से भी इसी तरह से उसने धोखाधड़ी करके ए०टी०एम० बदलकर पैसे निकाले थे,** अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	**209.03 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है, लेकिन अल्पमात्रा से काफी अधिक है। मामले में अभियुक्त से बरामद 07 अदद ए0टी0एम0 कार्ड भी भिन्न–भिन्न बैंकों के भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के दर्शाये गये हैं तथा पूर्व में भी अभियुक्त द्वारा धोखे से कुछ व्यक्तियों के ए0टी0एम0 कार्ड धोखे से बदलकर उनके पैसे ए0टी0एम0 कार्ड से निकालना दर्शाया गया है। बरामद चरस की मात्रा भी काफी अधिक है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित** पुत्र छोटे लाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–156/2026, अन्तर्गत धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 318(4) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक : 05–08–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.08.05 16:23:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur